संख्याः 916 /उन्तीस(2)/17–2(31 पे0)/2017

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 28 जुलाई, 2017

विषय– **जनपद देहरादून स्थित महामहिम राष्ट्रपति आशियाना परिसर में निरन्तर जलापूर्ति योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 2056/टी.ए.सी./2017–18 दिनांक 22 जून,2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून स्थित महामहिम राष्ट्रपति आशियाना परिसर में निरन्तर जलापूर्ति कार्य हेतु परीक्षणोपरान्त (निर्माण कार्य हेतु ₹ 68.71लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत ₹ 0.10लाख) औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 68.81लाख (₹ अड़सठ लाख इक्यासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 27.52लाख(₹ सताईस लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i)– स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii)– कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस से स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii)– उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(viii)– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान ख्या–13 लेखाशीर्षक–4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय–01 –जलपूर्ति 101–शहरी जल पूर्ति–03–नगरीय पेयजल– 01–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण जनाओं का निर्माण–35– पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन मद के नामे डाला जायेगा।

धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H 07132667 दिनांक 27 जुलाई,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग ु शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून,2017 के द्वारा र्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–273/XXVII(2)/2017, दिनांक जुलाई,,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या 9/6 (1)/उन्तीस(2)/17–2(31 पे0)/2017,तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. बजट अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।